संख्या-12/2026/41/एक-5-2026-04/2026

प्रेषक,

राजाराम द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-5 **लखनऊ :: दिनांक 25 फरवरी, 2026**

विषय- कलेक्ट्रेट परिसर अमरोहा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमरोहा एवं अपर उप जिलाधिकारी, अमरोहा के न्यायालय एवं कार्यालयों के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1922/12-भवन-342/2025 दिनांक 07.01.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिसर अमरोहा में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) अमरोहा एवं अपर उप जिलाधिकारी, अमरोहा के न्यायालय एवं कार्यालयों के निर्माण कार्य हेतु शासन द्वारा लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किये जाने का लिये गये निर्णय के क्रम में नामित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग से अद्यतन दरों पर गठित कराकर उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणन/प्रस्ताव रू0 210.46 लाख जी0एस0टी0 सहित (अप्रेजल समिति से परीक्षित एवं राजस्व परिषद से संस्तुत) की मानकीकृत लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा सम्पूर्ण धनराशि रू0 210.46 लाख (रू0 दो करोड दस लाख छियालीस हजार मात्र) अवमुक्त कर नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रदत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमानुसार आहरित कर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी, जिससे निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जा सके।

(2) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यो की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यो की मानीटरिंग भी की जायेगी।

(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2014 में दिये गये निर्देश के आलोक में कार्य की वास्तविक लागत के आधार पर नियमानुसार व्यय किये जाने के उपरान्त यदि धनराशि शेष बचती है तो उसे निर्धारित प्रक्रियानुसार राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(8) लेबर सेस के भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(9) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(10) वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन में शामिल किये गये समस्त प्रावधानों/मात्राओं के अनुसार निर्माण/मरम्मत कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। आगणन में शामिल प्राविधानों के इतर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(12) परियोजना की अनुमोदित लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। यदि अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्राप्त निविदा में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जाये। उक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी०एस०टी० की धनराशि सम्मिलित की गयी है। कार्यदायी संस्था का दायित्व होगा कि भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी०एस०टी० का भुगतान सुनिश्चित करायें। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED) हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट व स्टील, इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक/मानक मिलान करते हुए जी०एस०टी० का भुगतान किया जाये।

(14) प्रायोजना के संबंध में नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक आपत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से प्रायोजना की तकनीकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जायेगी।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं एवं विशिष्टियों को यथावत मानते हुए अनुमोदन प्रदान किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्य कार्यदायी संस्था का होगा।

(16) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि एवं स्वीकृत लागत में ही अवश्य पूर्ण करा लिया जायेगा।

(17) सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लिए सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनराशि का उपयोगिता एवं गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के साथ ही गठित तकीनीकी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान की थर्ड पार्टी क्वालिटी कंट्रोल रिपोर्ट जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(19) प्रायोजनान्तर्गत कोई अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियों का इस्तेमाल करना इत्यादि, शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(20) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप कार्यदायी संस्था द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(21) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(22) निर्माण कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की समीक्षा **जिलाधिकारी** द्वारा प्रत्येक सप्ताह की जायेगी, जिसका समय-समय पर जिला स्तरीय गुणवत्ता सेल टास्कफोर्स द्वारा स्थलीय सत्यापन भी प्रत्येक माह में किया जायेगा तथा प्रत्येक माह गुणवत्ता की सत्यापन रिपोर्ट सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन के साथ-साथ प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग एवं राजस्व परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाये कि अनुमोदित आगणन /स्वीकृत धनराशि से अधिक का कार्य कदापि न कराया जाये और न ही स्वीकृत धनराशि का डायवर्जन किसी दूसरे मद में किया जाये, अन्यथा इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(23) दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश सं0-5/2021/फाइल नं0-65-2013/2/2019-2 दिनांक 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में भवन का निर्माण दिव्यांगजन हेतु हितैषी बाधारहित बनाये जाने के लिए भारत सरकार द्वारा "Harmonized guidelinesand standards for universal accessibility in India, 2021" दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रायोजनान्तर्गत फायर फाइटिंग, भूकम्परोधी उपचार इत्यादि सम्बन्धी कार्य नेशनल बिल्डिंग कोड / अन्य सम्बन्धित कोड के अनुरूप है।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-02-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/विस्तार/सुदृढीकरण एवं भूमि क्रय हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजाराम द्विवेदी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-12/2026/41(1)/एक-5-2026-04/2026 ::तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5 ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
6- जिलाधिकारी, अमरोहा।
7- मुख्य अभियन्ता(भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ/अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, अमरोहा ।
8- नोडल अधिकारी बजट एलाटमेन्ट सिस्टम, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- राजस्व अनुभाग-6
10- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।